शाहजहाँपुर पुलिस

प्रेस नोट-सराहनीय कार्य दिनांक : 30.06.2024

पुवायाँ पुलिस द्वारा चोरी की योजना बनाते हुए दो अभियुक्त को नकब लगाने के औजार व अवैध शस्त्र के साथ किया गिरफ्तार।

श्री अशोक कुमार मीणा,पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशनुसार, श्री मनोज कुमार अवस्थी,अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन व श्री पंकज पंत, क्षेत्राधिकारी पुंवायाँ के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अपराध रोकधाम व गिरफ्तारी वाँछित अभियुक्त के क्रम में थाना पुवायां पुलिस की टीम को मिली बड़ी कामयाबी पुवायाँ पुलिस द्वारा पुवायाँ पुलिस द्वारा चोरी की योजना बनाते हुए दो अभियुक्त को नकब लगाने के औजार व अवैध शस्त्र के साथ किया गया गिरफ्तार।

दिनांक 29/30.06.2024 की रात्रि को थाना पुवायाँ पुलिस को रात्रि गश्त व चैकिंग संदिग्ध के दौरान जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि दो व्यक्ति गन्ना किसान डिग्री कालेज पुवायाँ हास्टल के बराबर मे खंडहर मकान के पीछे बैठे चोरी की योजना बना रहे है। इस सूचना पर विश्वास करते हुए थाना पुवांया पुलिस एक बारगी दबिश देकर घेरकर आवश्यक बल प्रयोग कर दोनो व्यक्तियों को मौके पर ही पकड लिया। पकडे गये इन व्यक्तियो से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम सौरभ मिश्रा पुत्र राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा नि0 मौ0 हरदयाल कूचा कस्बा व थाना पुवायाँ जिला शाहजहाँपुर उम्र करीब 27 वर्ष बताया जामा तलाशी से पहने लोंग निकर की दाहिनी फेंट मे घुरसा एक अदद तमंचा 315 बोर नाजायज चालू हालत मे व पहने लोग निकर की बायी जेब से एक अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर बरामद हुआ। दूसरे ने अपना नाम रामवीर कुशवाह पुत्र प्रकाश नि0मौ0 छावनी कस्बा व थाना पुवायाँ उम्र करीब 22 वर्ष जाति काछी बताया। जामा तलाशी से इसके दाहिने हाथ मे पकडे एक धारीदार सब्बल लोहा ल0 करीब चार फिट जो एक तरफ से नुकीला है बरामद हुआ। पकडे गये इन व्यक्तियों से यहां इकट्ठा होने व बरामद सब्बल व तमंचा कारतूस रखने का कारण व लाइसेंस तलब किया गया तो दिखाने से कासिर रहे तथा बताया कि हम बेरोजगार है घर का खर्चा चलाने के चोरी करने की योजना बना रहे थे कि आप लोगो ने पकड लिया। अतः इन्हे इनके जुर्म धारा 401 भादवि व 3/25 A.ACT से अवगत कराकर समय करीब 00.10 बजे जायज हिरासत पुलिस मे लिया गया अभियुक्तगण उपरोक्त को अग्रिम विधिक कार्यवाही के पश्चात माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. सौरभ मिश्रा पुत्र राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा नि0 मौ0 हरदयाल कूचा कस्बा व थाना पुवायाँ जिला शाहजहाँपुर
2. रामवीर कुशवाह पुत्र प्रकाश नि0मौ0 छावनी कस्बा व थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर

पंजीकृत अभियोगः –

1. मु0अ0सं0 429/24 धारा 401 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट

बरामदगी का विवरण –

1. एक अदद तमंचा 315 बोर नाजायज चालू हालत
2. एक अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर
3. एक अदद सब्बल लोहा

गिरफ्तारी टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार राय थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
2. व0उ0नि0 सकतावत सिंह थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
3. का0 1747 यतेन्द्र चौहान थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
4. का0 180 निर्दोष कुमार थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
5. का0 2338 गौरव कुमार थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर